संख्या – 4/4/2008-पी. एंड पी.डब्ल्यू. (डी.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक ~~फरवरी~~, 2010
27 जनवरी

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पेंशन से अतिशय वसूली के विरूद्ध विधि का कार्यान्वयन – गैर-कटौती योग्य पेंशन की कटौती न करने के संबंध में अभ्यावेदन – स्पष्टीकरण ।

इस विभाग को उपर्युक्त विषय पर बड़ी संख्या में समान प्रकृति के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । ये अभ्यावेदन ऐसे सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त हुए हैं जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलन पर यथानुपात पेंशन (एक-तिहाई और दो-तिहाई) के संबंध में एक-मुश्त भुगतान का आहरन किया था ।

2. ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलन पर यथानुपात (पेंशन एक-तिहाई और दो-तिहाई) के संबंध में एक मुश्त भुगतान का आहरन किया था और जो इस विभाग के दिनांक 05 मार्च, 87 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 34/2/86-पी.एंड पी.डब्ल्यू. के प्रावधानों के अनुसार संराशीकरण की तारीख या 1.4.85 इनमें जो भी बाद में हो, से 15 वर्षों के बाद पेंशन के एक-तिहाई संराशीकृत भाग की बहाली के हकदार हो गए हैं, उन्हें समय-समय पर यथास्पष्ट इस विभाग के दिनांक 14 जुलाई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/59/97-पी.एंड पी.डब्ल्यू. द्वारा नियमित कर दिया गया था । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2003 की रिट याचिका संख्या 8532 में अपने दिनांक 24.12.2003 के निर्णय में, इसके बाद 2005 की एसएलपी सं. 21647-648 से उत्पन्न 2006 की सिविल अपील संख्या 5269 में उच्चतम न्यायालय का दिनांक 29.11.06 तथा 07 की पुर्नयाचिका संख्या 643 में उच्चतम न्यायालय का दिनांक 24.7.07 का निर्णय, में निम्नानुसार यह स्पष्ट किया गया था :-

> " सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समाविष्ट कर्मचारी भी महंगाई राहत इत्यादि के हकदार हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति की तारीख को स्थिति के अनुसार संराशीकृत संपूर्ण पेंशन पर नहीं । इसके अतिरिक्त उन्होंने दो-तिहाई पेंशन का दावा छोड़ने पर सेवान्त लाभ के माध्यम से एक-मुश्त राशि प्राप्त की । इस प्रकार वे दो-तिहाई पेंशन के साथ पहले ही अलग हो गए । अंतः 15 वर्षों के बाद बहाली संभव नहीं हो सकती । परन्तु केन्द्रीय सरकार के पेशनभोगियों के मामले में उन्हें दो-तिहाई पेंशन दी जानी जारी रखी गई । इसीलिए एक तिहाई पेंशन बहाल कर दी गई जिसका अर्थ है पूरी पेंशन की बहाली । परन्तु यही सिद्धांत यह मान लेने पर लागू नहीं हो सकता कि समाविष्ट कर्मचारियों को 15 वर्ष के बाद पूरी पेंशन मिलेगी यदि ऐसा कर्मचारी, ऐसे

.....2/-

कर्मचारी को जिसने संराशीकृत एक तिहाई पेंशन पायी और दो-तिहाई पेंशन, यदि इसका दावा नहीं छोड़ता के लिए सेवान्त लाभ प्राप्त किए हो उसे दो-तिहाई पेंशन का मिलना जारी रहता, यदि सिद्धांत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के मामले में भी लागू होता है । परन्तु दो-तिहाई पेंशन का दावा छोड़ने के संबंध में नकद राशि के रूप में प्रतिपूर्ति लेते हुए, दो-तिहाई पेंशन का जहां तक संबंध है, पेंशनभोगी नहीं कहा जा सकता । ऐसे आमेलित कर्मचारियों का अलग आधार है और वे इस मसले पर भिन्न श्रेणी में आते हैं । उन स्थितियों में अनिवार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि एक-तिहाई पेंशन 15 वर्ष पूरे होने पर तीन से विभाजित मूल पेंशन के आधार पर ही पहुंचती हो जो संबंधित तारीखों को स्थिति के अनुसार आहरनीय होती है और पेंशन से 403/- रूपए की कटौती करने पर नहीं पहुंचती हो । उसके बाद याचिकाकर्ता निम्नानुसार हकदार होंगे :-

बहाली योग्य पेंशन :	
28.06.1987 से 31.12.1995 तक	
मूल पेंशन (604/एक-तिहाई)	201/- रूपए
	538/- रूपए महंगाई राहत
	125/- रूपए अतिरिक्त लाभ
	कुल : 864/- रूपए
01.01.1996 से आगे (पाँचवाँ वेतन आयोग	
मूल पेंशन का एक तिहाई (1350/- एक-तिहाई)	450/- रूपए
	185/- रूपए अंतरिम राहत
	1998/- रूप्ए महंगाई राहत
	540/-रूपए फिटमेंट
	कुल : 3173/- रूपए

इस मामले में कर्मचारी ने न्यूनतम अनुज्ञेय पेंशन अर्थात एक-तिहाई पेंशन संराशीकृत की । परन्तु यद्यपि पेंशन का कमतर अंश संराशीकृत किया गया है, यथानुपात संराशीकृत अंश की मूल पेंशन से कटौती की जाएगी जिससे कि बहाल योग्य पेंशन पर पहुँचा जा सके, तथापि, उसे संपूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत, अंतरिम राहत इत्यादि प्राप्त होगी ।"

3. सरकार ने उसके बाद दिनांक 6.9.2007 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निदेश को कार्यान्वित करते हुए अनुदेश जारी किए थे । दिनांक 6.9.2007 के कार्यालय ज्ञापन को निर्ण के क्रियात्मक भाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुपालन में जारी किया गया था जिसे उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को स्पष्ट करने से पूर्व उसके पैरा 2 में पुनः प्रस्तुत किया गया है ।

.....3/-

4. न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित परिणाम निकले है :-

- सरकारी कर्मचारियों की बहाल के योग्य पेंशन, जिन्होनें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत निकाय में आमेलन पर यथानुपात पेंशन (एक – तिहाई और दो तिहाई) के संबंध में एक युक्त भुगतान का आहरन किया था, की सीमा संराशिकृत अंश तक ही कर दी गई है, अर्थात एक – तिहाई पेंशन ।
- दो – तिहाई पेंशन जिसके लिए सेवान्त लाय आहरित किए गए थे, को बहाल नहीं किया जाएगा ।
- महंगाई राहत, महंगाई वेतन इत्यादि जैसे लाय , बहाल योग एक – तिहाई पेंशन की गणना करते समय पूरे लिए जाते है ।

5. पी.वी. सुन्दारा राजन और बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में डब्ल्यू. पी. (सी.) संख्या 11855/85: डब्ल्यू.पी.एस. (सी.) 345/1999 और डब्ल्यू. पी.सं. 567/1995 में अपील संख्या 4 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निम्नलिखित पैरा की और ध्यान दिलाया जाता है :-

"लेफ्टिनेंट कर्नल मल्होत्रा और अन्य आमेलितों, जिन्होंने 100 प्रतिशत पेंशन संराशीकृत की द्वारा किए गए दावों में समानता, हमारी राय में, पूरी तरह से अनुचित है । यह विवाद कि जो संराशीकृत या छोड़ी गई राशि है, तथा पेंशन लेने का अधिकार नहीं या संराशीकरण के बाद संशोधित पेंशन और उन तारीखों को, कुल हकदारी पेंशन पर महंगाई राहत सहित अनुषांगिक लाभ लेने का अधिकार, जिनकों अन्य सरकारी पेंशनभोगियों को प्रदान की जाती है, भ्रामक ही है । तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम वी.एस. बालाकृष्णन और अन्य (1994) पूरक 3 एस.सी.सी. 204) के मामले में निर्णय की, जिसमें श्री गोपाल सुब्रमनियम, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विश्वास दिलाया गया था, इस मसले पर कोई व्यावहारिकता नहीं है । ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 100 प्रतिशत पेंशन का संराशीकृत की, उनकी पेंशन की बहाली तक गैर-पेंशनभोगी बने रहे । वेलफेयर ऐसासिएशन केस (सुपरा) में, ऐसे व्यक्ति पूरी पेंशन का संराशीकरण किया और जिन्हें मासिक पेंशन घटकर शून्य होने पर, कोई मासिक पेंशन नहीं दी गई, उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा गया । जिन्होंन 100 प्रतिशत पेंशन का संराशीकरण किया वे पूरी पेंशन पर महंगाई राहत का लाभ तथा उसमें किए गए दावे के अनुसार अन्य लाभ पाने के हकदार नहीं है । इस श्रेणी का जहां तक संबंध है, हमें कोई पक्षपात नहीं लगता ।"

6. सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाती है कि इस विषय पर प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर तदनुसार कार्रवाई की जाए ।

(अमिताभ द्विवेदी)
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग, डाक सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि : एन.आई.सी. को इसे वेबसाइट पर डालने के लिए ।